भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6258

02 अप्रैल, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

बलिया में 'अमृत' के अंतर्गत परियोजनाएं

† 6258. श्री सनातन पांडेयः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बलिया लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत 2.0 के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी से संबंधित विभिन्न परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भूमि अधिग्रहण, अनुबंध संबंधी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कारणों से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2021 से आज की तिथि तक उक्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उक्त मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, कुल परिव्यय और की गई वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर शेष परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) जल और स्वच्छता राज्य का विषय है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह विभिन्न योजनाओं/मिशनों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने का अधिकार है।

अमृत 2.0 के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य ने बलिया लोकसभा क्षेत्र में बलिया और बारिया शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में 392.74 करोड़ रुपये की 03 परियोजनाएं शुरू की हैं। जैसा कि अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्य द्वारा अपडेट किया गया है, परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	यूएलबी	परियोजना का प्रकार	परियोजना का शीर्षक	कुल लागत (₹ करोड़ में)	स्थिति/कार्य भौतिक रूप से पूर्ण (₹ करोड़ में)
1	बलिया (एनपीपी)	जलापूर्ति	एनपीपी बलिया में जल आपूर्ति पुनर्गठन	135.33	डीपीआर चरण
2	बलिया (एनपीपी)	सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन	नगर पालिका प्रसाद बलिया सीवरेज पुनर्गठन योजना	270.67	52.28
3	बारिया (एनपी)	जलापूर्ति	नगर पंचायत बैरिया में जलापूर्ति पुनर्गठन	36.73	9.11

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भूमि विवाद के कारण सीवरेज परियोजना पर स्थगन आदेश दिया गया है। मिशन दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति मिशन की आवधिक समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत 2.0 के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित अमृत/अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।
